प्रारुप–5

परियोजना का नाम– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वनभूमि का प्रस्ताव।(लम्बाई 50x40=2000 वर्ग मीटर)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

शासनादेष संख्या 846/IV (3)/2017–12 (03 सा0) दिनांक 06 जुलाई 2017 द्वारा 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। **(छायाप्रति संलग्न)**

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत गजा
टिहरी गढ़वाल

राजस्व उप निरीक्षक गजा
तहसील गजा
टिहरी गढ़वाल

राजस्व निरीक्षक-गजा
तहसील—गजा
टिहरी गढ़वाल

नायब तहसीलदार
तहसील गजा
टिहरी गढ़वाल

संख्याः 377 /01 (वि.आ.निदे.) /xxvii(1)/ 2021 (16)

अनुलग्नक-01

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड़,
देहरादून।

वित्त अनुभाग-1 ::देहरादूनः: दिनांकः 23 मार्च, 2021

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के दृष्टिगत शहरी स्थानीय निकायों को ट्रैंचिंग ग्राउण्ड की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के दृष्टिगत **"टैचिंग ग्राउण्ड की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण"** के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु राज्यांश के रूप में निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित शहरी स्थानीय निकाय के नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित कुल ₹30,28,48,950.00 (₹तीस करोड़ अट्ठाईस लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि संबंधित निकायों को आवंटित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(₹लाख में)

क. सं.	निकाय का नाम	च.रा.वि.आ. के अन्तर्गत राज्यांश हेतु अवमुक्त धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	न.पा.प. रूद्रप्रयाग	72.81000
2	न.पा.प. महुआखेड़ागंज	116.38000
3	न.पा.प. सितारगंज	261.28000
4	न.पा.प. श्रीनगर	460.82000
5	न.प. नौगांव	167.44000
6	न.प. नानकमत्ता	154.42700
7	न.प. पिरान कलियर	195.75400
8	न.प. नन्दप्रयाग	61.19100
9	न.प. गजा	55.45200
10	न.प. लम्बगांव	60.09900
11	न.पा.प. उत्तरकाशी (उत्तरकाशी कलस्टरः उत्तरकाशी-गंगोत्री)	116.20350
12	न.पा.प. चिन्यालीसौड़	81.99000
13	न.प. घनशाली	51.68250
14	न.पं. गैरसैण	85.87350
15	न.प. कालाढूंगी	45.21600
16	न.पा.प. डीडीहाट	105.99750
17	न.पं. थराली	53.26650
18	न.पं. तिलवाड़ा	40.90000

19	न.पं. ऊखीमठ	75.45600
20	न.पा.प. दुगड्डा	39.57000
21	न.पा.प. टनकपुर कलस्टर (टनकपुर–बनबसा)	211.47300
22	न.प. सतपुली	47.97900
23	न.प. शक्तिगढ़	62.46000
24	न.पा.प. धारचूला	83.47500
25	न.प. चमियाला	46.14300
26	प.प. गंगोलीहाट	53.97600
27	न.पा.प. चम्पावत	221.17500
	योग	3028.48950

2– शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपर्युक्त निकायों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट परियोजना हेतु टी.ए.सी. / विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित / औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अन्तर्गत ही राज्यांश हेतु अवमुक्त धनराशि का निकायों द्वारा उपयोग किया जायेगा।

3– अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 07 के मुख्य लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– 00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–04–नगर पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–69–समनुदेशन के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 377 /01 (वि.आ.निदे.) /xxvii(1)/ 2021, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
7. संबंधित मुख्य / वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. संबंधित नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव।